अपना स्वास्थ्य संरक्षित करें

अपने विवेक की पुकार सुनें

कानून मत तोड़ें

अधिक जानकारी के लिए

इस्तांबुल अभिरक्षक समूह का घोषणा-पत्र
(DECLARATION OF ISTANBUL CUSTODIAN GROUP)
www.declarationofistanbul.org

किडनी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं?

आपको क्या जानने की ज़रूरत है...

Dev. 7दिसम्बर2005

भूमिका

अंतिम चरण में पहुँच चुकी किडनी के बीमारी वाले कई मरीजों के लिए प्रत्यारोपण की प्रक्रिया एक वैकल्पिक इलाज है। प्रत्यारोपण की प्रक्रिया एक जटिल प्रकार की शल्य चिकित्सा (ऑपरेशन) होती है, जिसके लिए एक उन्नत स्तर के चिकित्सालयी वातावरण के बीच शल्य चिकित्सकों (सर्जनों) और किडनी विशेषज्ञों (नेफ्रोलॉजिस्ट्स) की आवश्यकता होती है। प्रत्यारोपण के लिए किडनी किसी **मृत दाता** या **जीवित दाता से प्राप्त हो सकती है।**

मृत दाता की किडनी की उपलब्धता और आपको उसका आवंटन उस देश की विशिष्ट परम्पराओं पर निर्भर होगा जिसमें आप रहते हैं और उसके बारे में यहाँ पर और चर्चा नहीं की गई है।

जीवित किडनी दाता सामान्यतया कोई निकट का रक्त-संबंधी होता है। कई देशों में किसी ऐसे व्यक्ति से दान स्वीकार्य माना जा सकता है जिससे कानूनी या भावनात्मक संबंध (जैसे कि प ति या पत्नी, पार्टनर, या मित्र) हो। ऐसे प्रत्येक मामले में दान प्रेम, विश्वास, और पारस्परिक सरोकार की अभिव्यक्ति के रूप में दिया जाता है। दाता और प्राप्तकर्ता, दोनों सावधानी बरतते हैं कि उन दोनों के बारे में अपनाई जाने वाली क्रियाविधि के परिणाम के रूप में सफलता प्राप्त हो। प्रत्यारोपण खुलेआम और कानूनी तौर पर किया जाता है, तथा चिकित्सीय, मनोवैज्ञानिक, और सामाजिक दृष्टिकोण से उसका परिणाम सामान्यतया दाता और प्राप्तकर्ता, दोनों के लिए अति उत्तम होता है।

लेकिन जीवित दाता से किडनी प्राप्त करने का एक और स्रोत है। कुछ लोग गंभीर वित्तीय संकट के कारण किडनी बेचने के लिए इच्छुक हो सकते हैं। किडनी की बिक्री और ख़रीद को " प्रत्यारोपण व्यवसायीकरण" कहा जाता है, और यह दुनिया के लगभग सभी देशों में गैर-कानूनी है। कभी-कभी फाँसी पर चढ़ाए गए व्यक्ति की किडनी भी बेची जाती है।

इस पुस्तिका में किडनी ख़रीदे जाने पर आपके लिए उत्पन्न होने वाली जटिलताओं की चर्चा की गई है और इसका उद्देश्य आपको यह कदम उठाने से हतोत्साहित करना है, भले ही आप अत्यधिक निराशा की मनःस्थिति में हों।

प्रत्यारोपण व्यावसायिकरण और पर्यटन वास्तव में क्या है?

प्रत्यारोपण व्यावसायिकरण में प्राप्तकर्ता और दाता के बीच या तो प्रत्यक्ष रूप से, अथवा अधिक प्रचलित रूप में किसी मध्यस्थ या दलाल

के माध्यम से, जो अपनी " सेवाओं" के बदले शुल्क लेता है, धन या महत्त्वपूर्ण आर्थिक लाभ के किसी और रूप का विनिमय होता है। दाता (वास्तव में " विक्रेता") को धन देना पड़ता है, हालाँकि वह प्रायः दलाल को मिलने वाले पैसे से काफी कम होता है। परिणामस्वरूप, प्राप्तकर्ता द्वारा व्यय किए जाने वाला धन कानूनी तौर पर किए जाने वाले किसी प्रत्यारोपण पर व्यय किए जाने वाले धन से अधिक होता है। आपका चिकित्सीय बीमा व्यावसायिक प्रत्यारोपण को सामान्यतः कवर नहीं करता।

प्रत्यारोपण के लिए उस देश को छोड़ना, जहाँ आप निवास करते हैं, **" प्रत्यारोपण पर्यटन" कहलाता है।** प्रत्यारोपण करने वाले अधिकतर पेशेवर चिकित्सक इस परम्परा को अनुचित मानते हैं और इस संबंध में चिंता व्यक्त कर ते हैं कि बाहर आपकी देखरेख का स्तर आपको अपने देश में प्राप्त होने वाली देखरेख के स्तर से घटिया होगा।

प्रत्यारोपण व्यावसायिकरण गैर-कानूनी क्यों है?

कई देशों में ऐसे कानून हैं जो प्रत्यारोपण व्यावसायिकरण को विशेष तौर पर प्रतिबंधित करते हैं। अत्यधिक संभावना है कि आप जिस देश में रहते हैं, यह वहाँ पर भी गैर-कानूनी हो।

प्रत्यारोपण व्यावसायिकरण से लाभ से अधिक हानि होती है। इसके कारण दाता और प्राप्तकर्ता, दोनों अनावश्यक जोखिम में पड़ते हैं एवं इसकी वजह से प्राप्तकर्ता के अपने देश और जिस देश की वह किडनी ख़रीदने के लिए यात्रा करता है, दोनों में अंग दान की प्रक्रिया के स्वस्थ विकास को क्षति पहुँचती है।

धन प्राप्त करने वाले दाता के लिए कौन-से ख़तरे पैदा होते हैं? क्या वे बिना धन लिए दान करने वाले दाता के लिए पैदा होने वाले ख़तरों से बड़े होते हैं?

किडनी बेचने के लिए इच्छुक लोग प्रायः गरीब और निराश होते हैं। अनेकों अध्ययनों ने दर्शाया है कि अधिकतर व्यावसायिक दाताओं का संबंध समाज के पददलित और असुरक्षित तबकों से होता है। वे अकसर कम विकसित देशों के निवासी होते हैं जो धनी या अधिक विकसित देशों के अपेक्षाकृत और धनी प्राप्तकर्ताओं को (किडनी) दान करते हैं। वे वित्तीय संकट से उबरने और अपने जीवन की गुणवत्ता के स्तर को बेहतर बनाने की आशा में किडनी बेचना चाहते हैं। हालाँकि, अकसर वे निराश होते हैं।

व्यावसायिक दाताओं को न केवल आर्थिक दृष्टि से अलाभकर स्थिति का सामना करना प ड़ता है बल्कि उनका शोषण भी होता है क्योंकि वे प्रक्रिया की प्रकृति को समझ नहीं पाते अथवा उससे संबंधित ख़तरों का आकलन नहीं कर पाते। इसके अलावा वे बाध्यकारी स्थितियों के शिकार हो सकते हैं और वे स्वास्थ्य संबंधी महत्त्वपूर्ण सूचनाओं को छुपा सकते हैं। उनकी स्वयं की सुरक्षा का संभवतः उनके लिए सर्वोच्च महत्त्व न हो और उन्होंने दान करने का निर्णय ऐसे वक्त में लिया हो जब उनके लिए ऐसा करना अक्लमंदी न हो। प्राप्तकर्ता के लिए उसका क्या प्रतिकूल प्रभाव होगा, यह उनकी चिंता का विषय नहीं होता।

धन प्राप्त करने वाले दाता को जो पैसा मिलता है, वह सामान्यतः प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान किए जाने वाले धन का एक छोटा-सा प्रतिशत होता है और उससे उसकी वित्तीय समस्याएँ हल नहीं होतीं। प्राप्तकर्ता के धन का अधिकांश हिस्सा अस्पताल, दलालों, और अन्य बिचौलियों के पास चला जाता है। दाता की आम दनी भी घट सकती है क्योंकि वे आगे आने वाले वक्त में कठोर परिश्रम नहीं कर पाते। धन लेकर दान करने वाले दाता हताश हो सकते हैं और उन्हें वैवाहिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। संभव है कि स्वास्थ्य की अच्छी देखरेख सुविधाओं तक उनकी पहुँच न हो। अधिकतर दाता अन्य लोगों को किडनी बेचने की सलाह नहीं देंगे।

अनेकों प्रमाणों ने कानूनी तौर पर किए जाने वाले किडनी दान से प्राप्त होने वाली दीर्घकालीन सुरक्षा को प्रमाणित किया है, लेकिन धन लेकर दान करने वाले दाताओं की दीर्घकालीन चिकित्सीय स्थिति के बारे में कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि वे बिना धन लिए किए जाने वाले दान के सभी ख़तरों का तो सामना करते ही हैं, साथ ही गरीबी और असुरक्षा के कारण उत्पन्न होने वाले ख़तरों का भी सामना करते हैं।

धन लेकर दान करने वाले दाता से किडनी प्राप्त करने वाले प्राप्तकर्ता को किन अतिरिक्त जोखिमों का सामना करना पड़ता है?

चूँकि यह सामान्यतया गैर-कानूनी होता है, इसलिए धन लेकर दान करने वाले दाता से प्राप्त किडनी का प्रत्यारोपण अकसर ऐसे चिकित्सालयों अथवा क्लीनिकों में किया जाता है, जिन्हें प्रत्यारोपण करने का लाइसेंस प्राप्त नहीं होता, और जिन्हें आधिकारिक मेडिकल बोर्ड्स से मान्यता प्राप्त नहीं होती। संभव है कि ये चिकित्सालय जिस देश में स्थित हैं, वहाँ के शल्य चिकित्सा संबंधी और चिकित्सीय मानदंडों की अपेक्षाओं को पूरा न करते हों। परिणामस्वरूप, शल्य चिकित्सा के दौरान और उसके बाद में विभिन्न प्रकार की जटिलताएँ उत्पन्न होने का अधिक ख़तरा होता है।

व्यावसायिक प्रत्यारोपणों के बाद गंभीर, कभी-कभी तो जीवन के लिए घातक संक्रमण होने का

भी ख़तरा अधिक होता है। संभव है कि दाता को उचित ढंग से स्क्रीन न किया गया हो, या उसने महत्त्वपूर्ण निजी सूचना को प्रकट न किया हो अथवा वह इस संबंध में सचेत ही न हो। शल्य चिकित्सा कक्ष या चिकित्सालय-वार्ड में स्वच्छता का स्तर घटिया हो सकता है। चूँकि अस्वीकरण प्रतिरोधी (anti-rejection) औषधियाँ शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को दुर्बल बना देती है अतः प्रत्यारोपण प्राप्तकर्ताओं के लिए संक्रमण का शिकार होने का ख़तरा बढ़ जाता है, जिन्हें वे अपने देश मे लाकर परिवार और अन्य लोगों को जोखिम में डाल सकते हैं। इन प्रकार के संक्रमणों में उपलब्ध एंटीबायोटिक्स (प्रतिजैविकियों) और चिकित्सा विधियों के प्रति भारी प्रतिरोधक क्षमता होती है और वे जीवन के लिए घातक हो सकते हैं। शल्य चिकित्सा के बाद शीघ्र ही लंबी विमान यात्रा करने की सलाह देना भी गलत है और इससे अन्य जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

प्रत्यारोपण पर्यटन से संबद्ध चिकित्सालयों अथवा डॉक्टरों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले चिकित्सीय रिकॉर्ड लगभग हमेशा ही अपर्याप्त होते हैं। संभव है कि प्राप्तकर्ताओं को प्रत्यारोपण के बाद दी जाने वाली महत्त्वपूर्ण दवाओं की उचित मात्राएँ या खुराकें न दी गई हों। इस वजह से उनके घर लौटने पर उनकी देखरेख में काफी कठिनाई आ सकती है और उनके परिणाम प र गहरा प्रभाव पड़ सकता है।

और अंतिम रूप से, संभवतः कुछ प्राप्तकर्ताओं की यह सुनिश्चित करने के लिए उचित ढंग से स्क्रीनिंग न की गई हो कि उनके लिए किडनी का प्रत्यारोपण किया जाना सुरक्षित है। अत्यंत गंभीर बीमारियों को (जैसे कि हृदय रोग, चिरकालिक संक्रमण, कैन्सर) अनदेखा किया जा सकता है, इसके भी परिणाम घातक हो सकते हैं।

क्या व्यावसायिक प्रत्यारोपण किया जाना नैतिक दृष्टि से उचित है?

कुछ लोगों का विश्वास है कि यदि प्रत्यारोपण व्यावसायिक प्रणाली का उचित ढंग से नियमन किया जाए तो दाता और प्राप्तकर्ता दोनों लाभान्वित हो सकते हैं। अब तक का अनुभव बताता है कि स्थिति ऐसी नहीं है। समृद्ध लोगों द्वारा गरीबों का निरपवाद ढंग से शोषण किया जाता है। जोर-जबरदस्ती, संगठित अपराध और अवैध मानव व्यापार (अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा प्रतिबंधित), ये सभी चीजें घटित हुई हैं। प्रत्यारोपण व्यावसायिकरण दाता और प्राप्तकर्ता दोनों के स्वास्थ्य को जोखिम में डालता है और उसे चिकित्सीय और नैतिक दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता। गरीबों को आर्थिक दृष्टि से टिके रहने के लिए अपने शरीर के अंगों की बिक्री पर निर्भर नहीं होना चाहिए।

प्रत्यारोपण व्यावसायिकरण को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है?

इस परम्परा को समाप्त करने हेतु कार्रवाई करने के लिए अग्रणी चिकित्सीय संगठन और स्वास्थ्य देखरेख विशेषज्ञ एकजुट हो गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन [World Health Organization (WHO)] ने प्रत्यारोपण व्यावसायिकरण का दृढ़ता से विरोध किया है।

अनेक देशों ने प्रत्यारोपण पर्यटन से संबद्ध चिकित्सालयों को बंद करके और दलालों को गिरफ़्तार करके प्रत्यारोपण व्यावसायिकरण को रोकने के लिए कदम उठाया है। ऐसे भी मामले हैं जिनमें शल्य चिकित्सा के बाद दाता, और प्राप्तकर्ता भी गिरफ़्तार कर लिए गए।

इस्तांबुल का घोषणा-पत्र (The Declaration of Istanbul)

सन् 2008 में विश्वभर के अग्रणी चिकित्सा विशेषज्ञ इस्तांबुल, तुर्की में जमा हुए, ताकि अंगों के अवैध व्यापार और प्रत्यारोपण पर्यटन को रोकने के लिए कार्यनीति विकसित की जा सके।

स मूह अनेक रोगियों में प्रत्यारोपण की आवश्यकता महसूस करने के कारण जन्म लेने वाली निराशा को अच्छी तरह समझता है। यह ऐसे अनेक सिद्धांतों और प्रस्तावों को प्रस्तुत करता है जिन्हें पूरे विश्व में मृत एवं जीवित दाताओं से संबंधित प्रत्यारोपणों को इस ढंग से प्रोन्नत करने के लिए तैयार किया गया है कि वे प्राप्तकर्ता और दाता, दोनों के स्वास्थ्य और कल्याण को संरक्षित करें तथा साथ ही शोषण की भी समाप्ति करें। उन्होंने एक नीतिगत दस्तावेज विकसित किया जिसका विकसित रूप **इस्तांबुल का घोषणा-पत्र (The Declaration of Istanbul) है।**

सन् 2010 में **इस्तांबुल अभिरक्षक समूह का घोषणा-पत्र [Declaration of Istanbul Custodian Group** (DICG)] तैयार किया गया, ताकि घोषण-पत्र के सिद्धांतों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार किया जा सके। DICG के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दो प्रमुख प्रायोजक हैं, **द ट्रांसप्लांटेशन सोसाइटी [The Transplantation Society (TTS)]** और **इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ़ नेफ्रोलॉजी [International Society of Nephrology (ISN)]**। इस्तांबुल घोषणा-पत्र पर अब तक 80 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर सोसाइटीज़ और सरकारी एजेंसियाँ हस्ताक्षर कर चुकी हैं।

इस्तांबुल घोषणा-पत्र के बारे में और अधिक जानकारी
www.declarationofistanbul.org पर से मिल सकती है।